(39)

राजस्थान सरकार

गृह (कार्यालय मुख्य सतर्कता आयुक्त) विभाग

क्रमांक प.6(9)सीवीसी / 2004   जयपुर, दिनांक 10.11.2004.

समस्त मुख्य सतर्कता अधिकारी।

–: परिपत्र :–

विषयः– सतर्कता जागरूकता के अन्तर्गत भ्रष्टाचार नियंत्रण के संबंध में।

प्रसंगः–राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 15 के संबंध में।

"सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2004" के कम में यह ध्यान में लाया गया है कि लोकसेवकों को त्योंहारो पर उपहार भेट किये जाते है। इसी कम में आगामी समय में आने वाले त्यौहारों पर जैसे दीपावली, किसमस–डे व नववर्ष उत्सव के रूप में मनाये जाने है। सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किसी से उपहार स्वीकार किये जाने के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियम 15 में स्पष्ट प्रावधान दिये गये हैं। अतः उक्त नियम में दिये गये प्रावधानों के उल्लघंन को रोकने के लिये आप अपने विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में सतर्कता रखें तथा नियमों की पालना सुनिश्चत करें।

10/11/2004

(सुरेन्द्र कुमार)

अति. मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय तथा

पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त

प्रतिलिपि शासन सचिव कार्मिक विभाग को सूचनार्थ